



केमाशिबो/समन्वय/एससी/112567/2046

दिनांक : 21.02.2017

परिपत्र

विषय : मधुमेय (टाइप-1) वाले विद्यार्थियों द्वारा परीक्षा केंद्र पर खाद्य पदार्थ रखना।

हमारे देश की मधुमेय ग्रस्त जनसंख्या में से बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे हैं जो मधुमेय (टाइप-1) से पीड़ित हैं व जिन्हें अपने रक्त शर्करा स्तर को बनाए रखने के लिए नियमित अंतराल पर इंसुलिन के इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है। इन बच्चों को हायपोग्लेसिमिया से बचने के लिए बार-बार भोजन की जरूरत होती है अन्यथा यह उनके स्वास्थ्य/निष्पादन पर प्रभाव डालता है।

2. उपर्युक्त पर विचार करते हुए, बोर्ड ने यह निर्णय लिया है कि मधुमेय (टाइप-1) से पीड़ित ऐसे विद्यार्थी जो बोर्ड की कक्षा X तथा XII परीक्षाओं में उपस्थित हो रहे हैं, को परीक्षा केंद्र में आते समय निम्नलिखित खाद्य-पदार्थ ले जाने की अनुमति है:

1. चीनी टेबलेट/चोकलेट/कैंडी
2. फल जैसे केला/सेब/संतरा
3. स्नैक आइटम जैसे सैंडविच
4. पानी की छोटी बोटल (500 मि.ली.)

3. तथापि, निम्नलिखित कार्य-रीतियों का पालन किया जाएगा:

क) इन बच्चों द्वारा मधुमेय के पूरे पिछले विवरण, अपने मधुमेय की प्रकृति, तथा परीक्षा के दौरान स्नैक्स की आवश्यकता पर मधुमेय विशेषज्ञ से प्रमाणपत्र प्रस्तुत कराना होगा जिसे उस विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा अग्रेषित किया जाएगा जहां विद्यार्थी अध्ययनरत है।

ख) खाद्य पदार्थ परीक्षा केंद्र में अन्वेक्षकों के पास रखे जाएंगे, जो ये खाद्य पदार्थ इन उम्मीदवारों को उनकी आवश्यकता पर देंगे।

किशोर
(के. के. चौधरी)
परीक्षा नियंत्रक